अनुलग्नक

योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड जारी करने की पात्रता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर होना चाहिए :–

- स्वयं सहायता समूह में 70 प्रतिशत शहरी गरीब सदस्य अवश्य हों।
- समूह का निकट के क्षेत्रीय बैंक शाखा में बचत खाता खोल लिया गया हो।
- एस0एच0जी0 को रिवाल्विंग फण्ड हेतु आवश्यक है कि एस0एच0जी0 को पूर्व में रिवाल्विंग फण्ड की सहायता न मिली हो। यह केवल एक बार दिया जाना है।
- स्वयं सहायता समूह क्रियाशील हो एवं गत तीन महिनों से नियमित बैठकों का आयोजन कर पंचसूत्र सिद्धान्तों का पालन कर रहें हो।
- एस0एच0जी0 की क्रियाशीलता का आंकलन एस0एच0जी0 हेतु निर्धारित पंचसूत्र के अन्तर्गत उल्लिखित गतिविधियों के आधार पर किया जायेगा, जिसमें
  1). नियमित बैठक (साप्ताहिक) [Regular Meeting]
  2). नियमित बचत (साप्ताहिक) [Regular Saving]
  3). नियमित आपसी ऋण बाँटना [Regular Internal lending]
  4). नियमित ऋण की वापसी, [Regular Loan Repayment]
  5). समूह की खाताबही नियमित रूप से लिखना [Regular Book keeping]
  उक्त गतिविधियों की क्रियाशीलता के आधार पर एस0एच0जी0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जाना है।
- स्वयं सहायता समूह को grading में कम से कम 60 अंक प्राप्त हुआ हो। (संलग्न)
- स्वयं सहायता समूह को समूह सम्बन्धी बुनियादी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया हो तथा इस प्रशिक्षण में समस्त सदस्यों ने प्रतिभाग किया हो।
- ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनके सदस्य एक से अधिक समूहों से जुड़े हुए हैं, उन्हें रिवाल्विंग फण्ड नहीं दिया जायेगा।
- रिवाल्विंग फण्ड की प्राप्ति के बाद भी समूह पंचसूत्र सिद्धान्त के पालन तथा समूह के नियमों का पालन कर उत्तम प्रबन्धन स्थापित करने हेतु अपनी बैठकों में सहमत हो।
- रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि को एस0एच0जी0 सदस्यों में न तो बांटा जा सकता है न ही उनके दैनिक खर्चे यथा यात्रा भत्ता, दरी, चादर, बक्सा आदि में व्यय किया जायेगा। कारपस का उपयोग आन्तरिक ऋण वितरण हेतु करेंगे, जिसमें ब्याज भी समूह द्वारा आन्तरिक ऋण हेतु निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा। समूह स्तर पर प्राथमिकता के आधार से खाद्य सुरक्षा, उपभोग संबंधी आवश्यकताओं तथा आजीविका गतिविधियों में निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध किया जायेगा।

रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) जारी करने की प्रक्रिया सम्बन्धित अनुदेश –

1. रिवाल्विंग फण्ड मॉग हेतु स्वयं सहायता समूह का बैठक होना अनिवार्य है जिसकी कार्यवाही बैठक प्रस्ताव पुस्तिका में लिखी जायेगी। समूह के बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ चर्चा करके सर्वसम्मति से रिवाल्विंग फण्ड के प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। रिवाल्विंग फण्ड हेतु COs/CMMs/ROs के द्वारा प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग किया जायेगा। 3 माह की पंचसूत्र के अनुसार क्रियाशीलता, SHGs grading marks का स्पष्ट उल्लेख करते हुए रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त हेतु संस्तुति की जायेगी।

2. संदर्भ संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ अपनी टिप्पणी एवं आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रमाण स्वरूप सभी अभिलेख यथा बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, बचत विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, आन्तरिक ऋण एवं वापसी का प्रमाण, नियमावली रिवाल्विंग फण्ड हेतु एस0एच0जी0 द्वारा किया गया प्रस्ताव एवं स्वयं सहायता समूह में 70 प्रतिशत शहरी गरीब सदस्य होने आदि की प्रमाणित संलग्न किया जायेगा।

3. SHGs grading marks करने में सामुदायिक आयोजक/शहर मिशन मैनेजर/Bankers/ALF के द्वारा सहयोग किया जायेगा।

4. सामुदायिक आयोजक/शहर मिशन मैनेजर (सी0ओ0/सी0एम0एम0) द्वारा प्राप्त आवेदन एवं संलग्न अभिलेखों का यथा सम्भव भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण कर संस्तुति की जायेगी। जिन शहरों में सी0ओ0 उपलब्ध हैं वहां सी0ओ0 द्वारा शतप्रतिशत एवं सी0एम0एम0 द्वारा क्रमरहित (Randomly) रूप से चयनित न्यून्तम 20 प्रतिशत प्रस्तावों को क्षेत्र में जाकर जॉच एवं सत्यापन की पुष्टि करना आवश्यक है। जिसमें एस0एच0जी0 गठन से सभी गतिविधियों यथा बचत, ऋण वापसी, कार्यवाही, नियमावली आदि का अध्ययन किया जायेगा तथा अभिलेख एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त हेतु सी0ओ0 एवं सी0एम0एम0 द्वारा संस्तुति स्पष्ट टिप्पणी के साथ की जायेगी।

5. सी0एम0एम0यू0,DAY-NULM के प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त टिप्पणी के आधार पर आवेदन पत्रों को स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जायेगा। सी0एम0एम0यू0, DAY-NULM के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी रैण्डम आधार पर प्रत्येक संदर्भ संस्था से प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुछ आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

6. सी0एम0एम0यू0,DAY-NULM द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन एव धनराशि अवमुक्त में 15 दिवसों का समय ही लिया जायेगा। सभी अर्ह पाये जाने वाले एस0एच0जी0 को सी0एम0एम0यू0,DAY-NULM द्वारा आवेदन प्राप्त के 15 दिवसों के अन्दर रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जाना होगा।

7. स्वीकृति उपरान्त संबंधित समूहो के बैंक खाते में सी0एम0एम0यू0,DAY-NULM द्वारा रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) राशि को इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर (e-transfer) द्वारा ही समूह के बैक खाते में जमा करेगा जिसकी सूचना पत्र से सम्बन्धित समूह को दी जायेगा।

8. समूह के खाते में रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) के आने की तिथी से 7 दिनों के अन्दर समूह का बैठक करके सदस्यों के जरूरत पर चर्चा हो तथा राशि का उपयोग आन्तरिक ऋण के माध्यम से प्रारम्भ कर किया जाये।

9. संबंधित समूह ऋण वितरण योजना (Loan Disbursement Plan) एवं ऋण वापसी शिडयूल (Repayment Schedule) सदस्यों से चर्चा करके तय करे एवं इसकी एक छायाप्रति COs /ROs के माध्यम से नगर निकाय स्तर पर स्थापित सी0एम0एम0यू0,DAY-NULM में जमा की जायेगी। ऋण वितरण योजना एवं ऋण वापसी शिडयूल बैठक प्रस्ताव पुस्तिका में दर्ज कराने में संस्था/सामुदायिक आयोजक/ शहर मिशन मैनेजर (आर0ओ0/सी0ओ0/सी0एम0एम0) सहयोग करेगें।